# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No: 143/NCRES/20 Date: 25.7.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य इंजीनियर
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमैनो एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को बंचिग का लाभ देना।

सन्दर्भः– (i) NCRES GM/PNM मद संख्या 29/12/2019
(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र RBE No. 50/2019 दिनांक 13.3.2019

महोदय,

अवगत कराना है कि NCRES ने अपने पी.एन.एम. मद संख्या 29/12/2019 में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 50/2019 दिनांक 13.3.2019 के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल के पात्र कर्मचारियों को बंचिग के केस में एक अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट का लाभ देने हेतु मांग किया था परन्तु खेद का विषय है कि बंचिग के केस में पात्र कर्मचारियों को अभी तक एक अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट का लाभ नही दिया गया है।

यह भी गौर करने की आवश्यकता है कि Covid-19 के संक्रमण काल में जब ईंजीनियरिंग के अलावा अन्य विभागो द्वारा 33% या 50% कर्मचारियों से कार्य चलाया जा रहा है, उस समय भी इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 100% ट्रैकमेन्टेनरो ने कार्य कर मिसाल कायम किया है लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी के पात्र ट्रैकमैनो को बंचिग का लाभ अभी तक नही दिया गया जिसके कारण उनमें बहुत असंतोष है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल में कार्यरत ईंजीनियरिग विभाग के पात्र ट्रैकमैन एवं अन्य कर्मचारियों को बंचिग का लाभ मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री